

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

## वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

नोटब्लैक

देहरादून: दिनांक: ०२ अक्टूबर, 2016

**विषय:** जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण के अंतर्गत कौसानी से मल्लडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.208 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1057 / FP/UK/MAD/11323/2015 दिनांक 27 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण के अंतर्गत कौसानी से मल्लडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.208 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या—एफ०न०—११—०९/९८—एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ०न०—११—०९/९८—एफ०सी० दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित आवधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.416 हेतु सिविल सौयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण (१० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हो जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई०ए०स०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र संख्या—५—३ / 2007—एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये गदानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५०२, 2007—एफ०सी० दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एस०प० १० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या—एस०बी०—25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक—11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया जाया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जप्तपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  - प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण—पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
  - प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त ३० अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
  - उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,  
Mosh  
(मीनाक्षी जोशी)  
अपर सचिव।

संख्या: १०९९ (१) / X-४-१६/१(२७३) / २०१६, तददिनांकित।

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो । **प्रधिष्ठेत-**

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
  2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
  4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
  5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
  6. अधिशासी अभियंता, सि०ख०, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०ए००वाई०, बागेश्वर।
  7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सर्वियालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी०) की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
  8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
प्रिय  
(आरो कें तोमर)  
संयुक्त सचिव।